संख्या-005/सी.आर.डी./19(पार्ट)
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2010

कार्यालय आदेश सं0 19/05/10

विषय: नामांकन आधार पर प्रदान किए गए कार्य/खरीद/परामर्श ठेकों में पारदर्शिता ।

आयोग ने दिनांक 09/05/2006 के परिपत्र सं0 15/5/06 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामांकन आधार पर प्रदान किए गए कार्य/खरीद/परामर्श ठेकों में अनुपालन किए जाने के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए थे । इन अनुदेशों का आयोग में पुनरीक्षण किया गया है तथा आयोग का यह दृष्टिकोण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बोर्ड को, परिचालन प्रबंधकों की कार्रवाईयों तथा नामांकन आधार पर कार्य प्रदान करने के उनके निर्णयों की संवीक्षा अथवा कार्योतर पुनरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है ।

2. अत:, आयोग के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 2 के उप-पैरा (i) में निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है:-

"नामांकन आधार पर प्रदान किए गए सभी कार्य, संवीक्षा तथा कार्योतर पुनरीक्षण के लिए संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड के ध्यान में लाए जाएं"

ऐसे पढ़ा जाए

"नामांकन आधार पर प्रदान किए गए सभी कार्यों को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड के ध्यान में सूचना के लिए लाया जाए"

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. संगठनों के सभी सीईओ/अध्यक्ष